

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0
वाद सं. 315/2025 दायरा दिनांक : 25.09.2025

1




प्रकरण अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उनवान

~~किशनपुर भूक जाही मेहर मि धरोनिया~~

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ~~सुयपुर~~ जिला झालावाड राज0
पिडावा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
25/9/25	न्यायालय हाजा में वार्दी द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटी को दुरुस्त करने बाबत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेरोकार सरकार (तहसीलदार) को प्रकरण जांच हेतु भेजा जावे। बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त पत्रावली दिनांक 29/9/25 को पेश हो। 	
29/9/25	पत्रावली पेश हुई। निर्धारित प्रारूप में प्रतिवादी/पेरोकार सरकार तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 06/10/25 को पेश को हो। 	
06/10/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम धरोनिया की जमाबंदी सं. 2074-7) व तहसीलदार द्वारा पेश जांच रिपोर्ट अनुसार वादी के राजस्व रिकार्ड में भू प्रबंध विभाग/राजस्व विभाग द्वारा दर्ज अशुद्धि/त्रुटी को दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर पृथक से आदेश जारी हो। संबंधित तहसीलदार को पालना हेतु आदेश की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे। 	



(दिनेश कुमार मीना)
सहायक लैण्ड रिकार्ड अधिकारी
एवं पीठासीन अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज0)